

कार्यालय नगर परिषद, सीकर

रीको फायर स्टेशन, सीकर

क्रमांक.107 / फायर

दिनांक 5 / 3 / 2018

मैसर्स कृष्णा रेजीडेन्सी

समर्थपुरा, नवलगढ रोड, सीकर

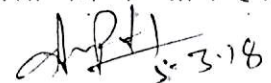
जरिये श्रीमति मनीषा मित्तल पत्नि श्री कृष्णगोपाल मित्तल

विषय:- राजस्व ग्राम समर्थपुरा के खसरा नम्बर 856 / 55, 54 में क्षेत्रफल 5206.00 वर्गमीटर में मुख्यमंत्री जनआवास योजना 2015 के तहत EWS/LIG गुप हाऊसिंग प्रयोजनार्थ निर्मित किये जाने वाले भवन की अस्थाई फायर अनापत्ति बाबत।

प्रसंग:- आपका प्रार्थना-पत्र दिनांकित 23 / 02 / 2018 के संदर्भ में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा दिनांक 23 / 02 / 2018 को इस विभाग में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बहुमंजिला इमारत / परिसर ढांचे में अग्निशमन की दृष्टि से अग्निशमन की अस्थाई अनापत्ति चाही है। आवेदित स्थल का मौका निरीक्षण किया गया, आवेदक श्रीमति मनीषा मित्तल पत्नि श्री कृष्णगोपाल मित्तल के उक्त भूखण्ड में बहुमंजिला इमारत / परिसर का निर्माण किया जाना है। अग्निशमन की दृष्टि से निम्न शर्तों की पालना करने को बाध्य करते हुए अग्निशमन की अस्थाई अनापत्ति जारी की जाती है :-

1. भवन का निर्माण नगर सुधार न्यास, सीकर द्वारा स्वीकृत मानचित्रानुसार करना होगा।
2. निर्माण किये जोन वाले भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप फायर लिफ्ट व फायर स्टेयर केस एवं नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप आग से बचाव, आग बुझाने व आग से सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था करना अनिवार्य होगी।
3. निर्मित किये जाने वाले बहुमंजिला भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप फायर हाईड्रेंट मय होज व नोजल, होजरील होज, फायर एस्टींग्यूशर, एम.सी. पी. मय हूटर, ग्राउण्ड व ओवर हैड फायर पानी का टैंक मय पम्प आदि लगाना अनिवार्य होगा।
4. आवेदक को ग्राउण्ड, प्रथम फ्लोर से बारहवें फ्लोर व टैरेस तक 39.50 मीटर ऊंचाई की आवासीय भवन की अस्थाई फायर अनापत्ति पत्र के साथ हस्ताक्षरित नक्शो में दर्शाई गई मान्य होगी।

 5-3-18

5. निर्माण किये जो वो भवन के चारों ओर एरियल हाईड्रोलिक लेडर प्लेट फार्म को प्रभावित स्थान तक पहुंचने हेतु चारों तरफ घूमने का कार्य करने के लिये नेशनल बिल्डिंग कोड एवं जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2010 के अनुरूप न्यूनतम 20 फीट खाली स्थान (गलियारा) रखना होगा एवं उक्त रखे गये खाली स्थान पर किसी भी प्रकार का अतिछाजन व बालकनी आदि का निर्माण निषेध रहेगा।
6. आपातकालीन स्थिति में सूचना तुरन्त अग्निशमन केन्द्र पहुंचे इसके लिये स्वचालित आग चेतावनी व्यवस्था को प्रावधान करना अनिवार्य होगा।
7. अस्थाई अग्निशमन अभिशंषा के स्वीकृत नक्शे में वर्णित आवेदित स्थल का भूमि संबंधी कोई प्रकरण विचाराधीन/विवादित है तो इसके लिये आवेदनकर्ता स्वयं ही उत्तरदायी होगा इस संबंध में विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
8. फायर प्रिवेंशन, फायर प्रोटेक्शन हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन में जो उपकरण लगाये जावें व व्यवस्था की जावे उनको टेस्ट व निरीक्षण निम्न हस्ताक्षरकर्ता से करवाकर स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेने के बाद ही भवन का उपयोग लिया जा सकेगा। उक्त की पालना नहीं करने पर भूखण्ड मालिक/आवेदक अस्थाई अनापत्ति प्राप्तकर्ता के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
9. भवन में धुआं निकासी के लिये नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप उचित व्यवस्था करनी होगी व एन.बी.सी. के अनुरूप रिफ्यूजी ऐरिया छोड़ना होगा।
10. आवेदक को फायर अनापत्ति शुल्क या अन्य कोई नगर निगम को शुल्क बकाया रह जाता है तो जमा करवाना होगा अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जावेगी।
11. जयपुर विकास प्राधिकरण विनियम 2010/2016 व समय-समय पर जारी राज्य सरकार के आदेशों की पालना अनिवार्य होगा।
12. भवन निर्माण में रोड कांग्रेस के नियमों की पालना करना अनिवार्य होगा।
13. यह अस्थाई अनापत्ति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष तक के लिये मान्य होगी अनापत्ति अवधि समाप्ति पूर्व भवन में उपरोक्त वर्णित समस्त व्यवस्था कर आवेदक को स्थाई फायर अनापत्ति लेनी होगी, अगर तीन वर्ष की अवधि में कार्य पूर्ण नहीं होता है तो पुनः आवेदन कर स्थल का मौका निरीक्षण कर अनापत्ति अवधि बढ़वानी होगी व अस्थाई अनापत्ति अवधि समाप्ति पश्चात स्थाई अनापत्ति लेना अनिवार्य होगा अन्यथा अवधि समाप्ति पश्चात जमा अमानत राशि जब्त की जा सकेगी व नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा


 5-3-18
 निम्न अग्निशमन अधिकारी
 नगर पालिका

194 के अन्तर्गत भवन को सील किया जा सकेगा, आवेदक का जमा अमानत शुल्क जब्त किया जा सकेगा।

14. नगर परिषद, सीकर में वर्तमान में एरियल हाईड्रोलिक लेडर प्लेट फार्म उपलब्ध नहीं है। अतः फाईनल एनओसी मुख्य अग्निशमन अधिकारी, नगर निगम जयपुर से प्राप्त करनी होगी।
15. नगर सुधार न्याय, सीकर द्वारा भवन मानचित्र स्वीकृति में दी गई शर्तों की पालना करना अनिवार्य होगा।
16. संबंधित फर्म से नियमानुसार फायर शेष की राशि नगर सुधार न्यास कोष में नगर सुधार न्यास द्वारा जमा कराई जावे।

591
सहायक अग्निशमन अधिकारी
सहायक अग्निशमन अधिकारी
नगर परिषद, सीकर
नगर परिषद, सीकर

क्रमांक:-

प्रतिलिपि:-

1. सहायक नगर नियोजक, नगर सुधार न्यास, सीकर

5.3.18
सहायक अग्निशमन अधिकारी
सहायक अग्निशमन अधिकारी
नगर परिषद, सीकर
नगर परिषद, सीकर